

फॉरवर्ड पत्र सं- 1516033 दिनांक 19-08-2015  
पत्र संख्या विधि-4(1))/2008-09/परिपत्र भाग-2/भाग-3(15-16)/1047 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर

(विधि अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2015

समस्त एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश ।

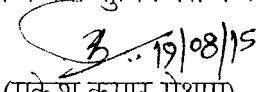
कृपया मुख्यालय के कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1516009 दिनांक 14.05.2015 द्वारा उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 17(6) (a)(b) की व्यवस्था के अन्तर्गत SPN जारी किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ।

उक्त संदर्भ में SPN हेतु प्रार्थनापत्र Online प्रस्तुत करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

- 1- व्यापारी द्वारा सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट <http://comtax.up.nic.in> में Dealer Services के अन्तर्गत e-Registration Link पर click किया जायेगा ।
- 2- इसके पश्चात open होने वाले page में download offline tool in PDF :: SPN पर click करके offline tool को download किया जायेगा ।
- 3- Offline tool में पंजीयन से संबंधित समस्त विवरण अंकित किये जाने के पश्चात विवरण को SUBMIT किया जायेगा । Tool की uploading के समय Internet connection होना आवश्यक है ।
- 4- इस विवरण को upload करने पर system generated e-token ID उपलब्ध हो जायेगा तथा व्यापारी द्वारा Acknowledgement receipt प्राप्त की जा सकती है ।
- 5- इसके पश्चात संबंधित documents को upload करने के लिये upload document के लिंक पर click करके तथा E-Token ID व फर्म का PAN अंकित करके upload किया जा सकता है ।
- 6- SPN form का निर्धारित प्रारूप में Print प्राप्त करने के लिये Print SPN Form as per Token ID link पर Click किया जायेगा ।

इसके Submission के पश्चात् Application संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के login पर उपलब्ध हो जायेगा तथा शेष कार्यवाही पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी ।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त संदर्भ में निर्देशित करना सुनिश्चित करें ।

  
(मुकेश कुमार मिश्रा)  
कमिशनर, वाणिज्यकर,  
उत्तर प्रदेश ।